अधिकारी दी गई समय सीमा में आमजन की परिवेदनाओं निस्तारण करें :कलेक्टर

जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते जिला कलेक्टर डॉ अर्तिका शुक्ला।

- जिला स्तरीय जनसुनवाई में 130 परिवेदनाएं की गई दज
- अधिकारियों को भेजा मौके पर कराया समाधान

अलवर। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में 130 परिवेदनाएं दर्ज की गई। जिला कलेक्टर ने परिवेदनाएं लेकर आए लोगों को बैठाया और विस्तार से समस्याओं को सुना व संबंधित अधिकारियों से मौके पर जानकारी लेते हुए उन्हें तुरंत निदान के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रो-एक्टिव एवं संवेदनशील रहकर जनसुनवाई व सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से आने वाली परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण त्वरित निराकरण करे। परिवेदनाओं के निस्तारण में फरियादियों की संतुष्टि स्तर में इजाफा करे। अधिकारी अपने कार्यालय में नियमित जनसुनवाई करें।

जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई पहली बार आने वाली परिवेदनाओं के निराकरण की समय सीमा तय कर अधिकारियों को परिवेदनाओं की प्रकृति के अनुसार 3 दिवस, 7 दिवस एवं 15 दिवस का समय देकर निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवेदना निर्धारित समय सीमा निस्तारित कर रिपोर्ट भिजवाये। उन्होंने परिवेदनाओं के दिए गए समयनुसार निस्तारण की मॉनिटरिंग करने हेतु उन्होंने सहायक निदेशक, लोक सेवाए को निर्देशित किया और निर्देश दिए पूर्व आई हुई परिवेदनाओं को भी अधिकतम एक माह में निस्तारित करे।

ये रही प्रमुख परिवेदनाएं :- अलवर शहर के स्कीम नं. 8 में साफ-सफाई व सीवरेज पाइप डालवाने, लालडिग्गी मेहन्दी बाग हनुमान मंदिर के पीछे से अतिक्रमण हटवाने, मौहल्ला अखैपुरा वासियों ने श्मशान घाट में विकास कार्य करवाने, अखैपुरा में सडक व नाला निर्माण करवाने, मीणापाडी में श्मशान घाट की भूमि पर से अतिक्रमण हटवाने, ठाकुर वाला कुआं व हीराबास के फरियादी को पट्टा जारी करवाने के संबंध में परिवेदनाएं प्राप्त होने पर जिला कलक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि जनसुनवाई में प्राप्त फरियादियों की साफ-सफाई, नाला निर्माण, सीवरेज लाइन आदि की परिवेदनाओं का त्वरित निराकरण करें।मालवीय नगर में राजीव आवास योजना के तहत चौक सीवरेज लाइन को सही कराने, बुध विहार में सडक बनवाने व अतिक्रमण हटवाने, विवेकानन्द नगर, धोबी गट्टा विजय नगर, इंदिरा कॉलोनी, अकबरपुर के फरियादियों को पट्टा जारी करवाने की परिवेदना प्राप्त होने पर उन्होंने यूआईटी सचिव को निर्देश दिये कि सभी परिवेदनाओं का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप में निस्तारण करावे। साथ ही पट्टे से संबंधित परिवेदनाओं का भी नियमानुसार निराकरण कर फरियादियों को पट्टा वितरित किया जाए।

ख्वाजा साहब का कुल की रस्म के साथ 706 वां उर्स संपन्न

सांभरझील, (निसं)। ख़्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती (अजमेर) के लाड़ले पोते हज़रत ख़्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती का सालाना 706 उर्स विधिवत कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। मोहसिन खान उर्फ जावेद ने बताया कि उर्स की पारंपरिक रस्में दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने अदा की।दरगाह स्थित महफिल खाने में दीवान साहब की सदारत कुल की महफिल की शुरुआत हुई सूफियाना कलाम रंग ओर बधवा पढा गया। दोपहर 3:30 बजे कुल की फतेहा पढ़ी गई और दीवान साहब की दस्तार की गई , उनके दस्ते मुबारक से अंजुमन हुसामिया कमेटी के सदर अब्दुल सलाम शेख की दस्तार की गई। कुल की फ़ातेहा के बाद दीवान साहब आस्ताने में कुल की रस्म अदा करने पहुंचे, वहां विशेष दुआ की गई। दीवान साहब व कमेटी के सभी ओहदेदारों की दरगाह खादिम सैयद अल्ताफ अहमद, सैयद जहीर अहमद, अशफाक अहमद, निसार अहमद द्वारा दस्तार की गई। कुल की रस्म में दरगाह कमेटी के सदर अब्दुल , नायब सदर शब्बीर रंगरेज, बाबू शेख, हमीद काजी, हफीज मंसूरी, सहित अनेक मुस्लिम समुदाय के प्रतिष्ठित लोग शरीक हुए।

पुलिस अधीक्षक ने किया जिले के थाना प्रभारियों के स्थानांतर

बौंली- बामनवास । सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने जिले के थाना प्रभारियों के स्थानांतर किए हैं। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के आदेशानुसार पुलिस निरीक्षक करण सिंह राठौड़ को गंगापुर सिटी थाना प्रभारी, बनेसिंह को थाना प्रभारी गंगापुर सदर, सुनील कुमार गुप्ता को थाना प्रभारी मानटाउन, हरलाल सिंह को थाना प्रभारी कोतवाली सवाई माधोपुर, भोजाराम को महिला थाना प्रभारी सवाई माधोपुर, लक्ष्मण सिंह को थाना प्रभारी बामनवास एवं बौंली पुलिस थाने पर कार्यरत राधा रमण गुप्ता को पुनः बौंली थाना प्रभारी लगाया गया है। दिलीप कुमार वर्मा को आरआई पुलिस लाइन व राजवीर सिंह को साइबर पुलिस थाना सवाई माधोपुर प्रभारी लगाया गया है। इसी क्रम में सहायक निरीक्षक नरेश पोसवाल को मित्रपुरा थाना प्रभारी, भरत सिंह को कुंडेरा थाना प्रभारी, जयप्रकाश को यथावत सूरवाल थाना प्रभारी, सुमन कुमार को चौथ का बरवाड़ा थाना प्रभारी, यशपाल सिंह को बाटोदा थाना प्रभारी, राजवीर सिंह को उदई मोड थाना प्रभारी, हेमराज शर्मा को खंडार थाना प्रभारी, सुमेरसिंह को बहरावंडा थाना प्रभारी, टीनू सोगरवाल को वजीरपुर थाना प्रभारी, हरिराम मीना को रवांजनाडूंगर थाना प्रभारी एवं श्याम सुंदर को द्वितीय अधिकारी गंगापुर सिटी, हीरालाल मीणा को सवाई माधोपुर गणेश धाम चौकी प्रभारी, धर्मपाल सिंह को बहरावंडा खुर्द चौकी प्रभारी, हरभान सिंह को तलवाड़ा चौकी प्रभारी, रामवीर सिंह को कुस्तला चौकी प्रभारी, अमर सिंह को पिपलाई चौकी प्रभारी, राजेंद्र गिरी को खिरनी चौकी प्रभारी एवं मानसिंह को यातायात सवाई माधोपुर में लगाया गया है।

ग्रामवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

टोंक। डिग्गी थाना पुलिस द्वारा अकारण दो युवको को रास्ते से उठाकर 20 हजार रूपये की मांग करने एवं मारपीठ करने के आरोप में क्षेत्रवासियों ने जहां डिग्गी थाने का घेराव किया वही जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झां को ज्ञापन सौप न्यायोचित कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि गत 27 दिसम्बर को प्रार्थी व जहीर अपने बहिन से मिलकर मालपुरा से पीपलू आ रहे थे, तभी रास्ते में धोली व डिग्गी के बीच थाना पुलिस द्वारा दोनो युवको को रोककर जबरदस्ती बन्दी बनाया तथा थाने ले जाकर कहां कि हमे किसी के भी बजरी ट्रेक्टर पकडवाओं, हमे थाने की पेडिन्सी समाप्त करनी है। पीडित परिवारजनो को जब मालूम पडा तो पुलिस कॉनिस्टेबल रामचरण ने 20 हजार रूपये की मांग की, जिसमें थानाधिकारी ओमप्रकाश तथा पुलिसकर्मी केदार व गिर्राज, सुरेश द्वारा प्रार्थी व पीडित के परिजनो से धनराज व मोरपाल को मुर्गा बनाकर मारपीट की गई।

यू.डी.एच. मंत्री ने भीम पंचायत के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया

- क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहे यूडीएच मंत्री खर्रा

श्रीमाधोपुर। क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान यूडीएच मंत्री खर्रा ने नांगल भीम में 50 लाख की लागत से बने पंचायत के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर विकास कार्यों की ग्रामवासियों को सौगात दी। लोकार्पण समारोह के दौरान मंत्री के नांगल भीम समारोह स्थल पर पहुंचने पर सरपंच महेंद्र वर्मा ने 51 किलो की फूलमाला तथा 51 मीटर का साफा पहनाकर भव्य सम्मान किया। मंत्री का ग्रामीणों की ओर से भी भव्य साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। मंत्री खर्रा ने लोकार्पण समारोह के दौरान एक दर्जन से अधिक लोगों को मकान के पट्टे तथा जरूरतमंद लोगों को गर्म कम्बल भी वितरित किए। समारोह को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा पंचायत विकास के कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दूंगा। मंच से उन्होंने लौगों को मिल जुल कर एकता एवं भाई चारे के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने एवं रहने की नसीहत भी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की सबसे बड़ी पेयजल समस्या को लेकर कहा कि जल्द ही इस बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा। नमृदा यमुना परियोजना का काम तैजी से चल रहा है आज भी इस को लेकर मुख्यमंत्री से बात हुइ थी और हनुमानगढ़ में नहर के पानी के स्टोरेज के लिए कार्य शुरू हो चुका है और श्रीमाधोपुर में पानी लाने के लिए भूमि आंवटन की पत्रावलियां तैयार हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्या रखने पर समस्याओं का जल्द ही समाधान करने की बात कही। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बनवारीलाल यादव, अध्यक्ष हरिनारायण महंत,प्रधान शंकर लाल यादव अजीतगढ,कोटडी सिमारला सरपंच बिमला झरवाल,कल्याणपुरा सरपंच पवन सांई,पूर्व सरपंच मोहनलाल सैनी,सरपंच मऊ सुमन वर्मा,विकास अधिकारी सुनील कुमार,जगदीश प्रसाद यादव लिसाडिया, ग्रामसेवक सुनिल गुर्जर सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीण मौजूद रहें।

ज्ञापन पत्र भेजा

पावटा । विराटनगर बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, संगठन महामंत्री बी एल संतोष सहित राजस्थान प्रदेश प्रभारी को ज्ञापन पत्र भेजकर विराटनगर पंचायत समिति क्षेत्र को जयपुर जिले में जोड़ने की मांग दोहराई है । ज्ञापन पत्र के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस शासन के दौरान उपखंड मुख्यालय पर 73 दिनों तक चले धरना प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी। सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर बाबूलाल जाट, जगदीश प्रसाद यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता पवन शर्मा जवानपुरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, भागीरथ शर्मा, बाबूजी गणपत लाल शर्मा, मंडल महामंत्री भोमराज चेची, सत्यनारायण सैनी, संघर्ष समिति सदस्य बंसी सैनी, दीपेश चौबे, राजू सैनी सरपंच, रामकरण जाट, रतन गुर्जर सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को भाजपा कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र वासियों की मांग से अवगत कराते हुए लिखा है सभी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार यह मांग रही विराटनगर क्षेत्र को जयपुर जिले में जोड़ा जाए। बीजेपी घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु यही था कि जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी तो विराटनगर को पुनः जयपुर जिले में जोड़ा जाएगा।

नगरपालिका की साधारण सभा आज

श्रीमाधोपुर । नगर पालिका मंडल की साधारण सभा आज दोपहर 2 बजे नगरपालिका श्रीमाधोपुर के सभा भवन में नगर पालिका अध्यक्ष हरिनारायण महंत की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने साधारण सभा में जिन मुद्दों पर विचार कर निर्णय किया जाएगा उनमें नगर पालिका की श्रेणी क्रमोन्नत करवाने , नगर पालिका के नकारा व अनुपयोगी सामान की नीलामी, नगर पालिका क्षेत्र में रोड लाइट विस्तार हेतु नवीन विद्युत पोल लगवाकर विद्युत तार लगवाकर रोड लाइट की व्यवस्था किए जाने, नगर पालिका कार्यालय को पुराने न्यायालय भवन में स्थानांतरित किए जाने, नगर पालिका क्षेत्र में सीविरेज लाइन के प्रथम फेज का कार्य प्रारंभ हो चुका है जहां वर्तमान में सीवरेज लाइन डाला जाना प्रस्तावित नहीं है उन बाहरी वार्डो में रास्ते में रोड, नाली एवं विभिन्न विकास कार्य करवाए जाने, घर-घर कचरा संग्रहण हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने एवं कचरा पृथकीकरण करण व निस्तारण किए जाने हेतु होने वाले व्यय पर विचार , आगामी वित्तीय वर्ष 2025 - 26 हेतु निविदाएं आमंत्रित किए जाने , वर्ष 2023 - 24 में विभिन्न कार्यों में कार्यों की आवश्यकता को मध्य नजर बढ़ोतरी कर व्यय की गई राशि की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने , जालपाली मोड़ के पास पालिका सीमा पुर व बाबा ब्रह्मचारी आश्रम तिराहे के पास स्वागत द्वारा निर्माण करवाए जाने, पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण व मरम्मत कार्य करवाए जाने, लिगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य करवाए जाने, भगवान श्री परशुराम सर्किल के लिए आए प्रार्थना पत्र पर विचार व अन्य बिंदु जो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से रखे जाएंगे उन पर विचार किया जाएगा।

किसान का गांव बंद आंदोलन 29 को

टोंक। राजस्थान के 45,537 गांव बंद के आवाहन को सफल बनाने के लिए किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने आठ दिवसीय यात्रा में 20 जिलों का जागरण अभियान पूरा किया। जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ब्यावर, अजमेर, दोसा, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा, अलवर एवं जयपुर जिले के किसान प्रतिनिधियों के साथ संपर्क हुआ। द्वितीय चरण 16 जनवरी 2025 से आरम्भ टोंक जिले से होंगा जो बून्दी, सीकर, चुरु, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बिकानेर, नागौर का होंगा, सभी ग्रामवासियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए आग्रह किया, पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में ख्यात पत्रकारों से संवाद किया। इस संपूर्ण यात्रा में टोंक जिले से किसान महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी एवं करौली जिले से प्रदेश मंत्री बत्तीलाल ने सक्रिय भूमिका निभाई।

खैरथल जिला सचिवालय पर हुई जनसुनवाई

- 62 प्रकरण हुए दर्ज मौके पर अधिकांश प्रकरणों का किया गया समाधान

खैरथल। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला मुख्यालय पर होने वाली मासिक जनसुनवाई गुरुवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता मे हुई। जनसुनवाई में विधायक दीपचंद खेरिया, पूर्व विधायक रामहेत यादव, सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों की बिजली पानी एवं अन्य आमजन से जुडी समस्याओं के समाधान को लेकर पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने कहा सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी त्वरित राहत प्रदान करें।खैरथल जिला सचिवालय पर गुरुवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई में 62 प्रकरण दर्ज किए गए। जिसमें अधिकांश समस्याओं का समाधान जिला कलेक्टर ने मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए निस्तारण कराया और शेष रहे परिवादों के बारे में अधिकारीयों से आवश्यक जानकारी लेते हुए तुरन्त कार्यवाही कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिये।जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के साथ - साथ सम्पर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालय सहित विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले परिवादों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाए तथा लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर उनका गुणवत्तापुर्ण निस्तारण करें।जिला सचिवालय पर हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई में भूमि पर अतिक्रमण, आधार कार्ड में नाम बदलवाने, भूमि विभाजन, सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर ग्रामीण पहुंचे थे।

निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर में 300 का स्वास्थ्य परीक्षण

सांभरझील, (निसं)। नीना स्मृति संस्थान नलू द्वारा प्रथम विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नलू (किशनगढ़) के परिसर में किया गया जिसमें आसपास के ग्रामवासियों की निःशुल्क जांच व उपचार किया गया एवं दवाईयों का वितरण किया गया।

शिविर में राजस्थान डेंटल कालेज व हास्पिटल के डॉ प्रयास जोशी एवं टीम, स्वास्तिक मल्टीस्पेशलिटी की डॉ भानवी गुम्बर एवं टीम द्वारा नेत्र जांच एवं मार्बल सिटी हास्पिटल से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ शिखा सिंह ठाकुर, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉ मृदुल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ रोहिलसिंह कक्कड़ ने अपनी सेवाएं दी। आयुर्वेद विशेषज्ञो में जयनारायण हास्पिटल जोएस राजावत ने अग्निसार सूत्र तथा गिरधारीलाल शर्मा एवं मुकेश शर्मा ने अपनी विभिन्न रोगों के सम्बन्ध में चिकित्सीय सेवाएं दी। क्षार सूत्र चिकित्सा सेवाएं दी। फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉ गरिमा राठौड़ ने भी अपनी सेवाएं दी। शिविर में लगभग 300 मरीजों की जांच व उपचार किया गया एंव ग्राम नलू के राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खेल प्रतिभागियों एवं शाला के मेघावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। शिविर के समापन में संयुक्त निदेशक डॉ सम्पत सिंह जोधा एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर्वज्ञ चतुर्वेदी व पंचायत समिति सदस्य, प्रतिनिधि संरपच ग्राम पंचायत नलू, सहकारी समिति नलू के अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह राठौड़ व उपप्राचार्य रा.उ.मा.वि. नलू ने भी हिस्सा लिया।शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं का ब्लड ग्रुप की भी स्वास्थ्य क्रेन्द्र के इंचार्ज हीरालाल एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। इस मौके पर शाला में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक 93 छात्र-छात्राओं को स्वेटर तथा टूथपेस्ट एवं बुश भी इस संस्थान द्वारा प्रदान किया । श्रीमती नीना कंवर के जीवन परिचय तथा मौसमी बीमारियों एवं उनके बचाव पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। शिविर संयोजक सांभर के एडवोकेट शिवराजसिंह राठौड़ ने अंत में सभी का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया।

- आयुर्वेद विशेषज्ञों ने अग्निसार सूत्र के फायदे बताए

नीना स्मृति संस्थान नलू द्वारा प्रथम विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजित ।

गौ सेवा समिति ने की गौवंश की सेवा

पावटा। उपखंड पावटा क्षेत्र में इन दिनों लोगों में गौ सेवा के लिए अपार उत्साह एवं श्रद्धा देखने को मिल रही है। संकल्प हरियाली गौ सेवा समिति के तत्वाधान में गौ सेवकों द्वारा क्षेत्र में समाज के विभिन्न लोगों (गौ सेवको) के सहयोग से निराश्रित गौवंश के लिए सब्जी चारा भूसा एकत्रित कर ने सर्दियों में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भूख से बेहाल निराश्रित गौवंश को खिलाने का कार्य किया जा रहा है। संकल्प हरियाली समिति संयोजक नीरज ने यह जानकारी दी।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय बहन **श्रीमती रामा पांडे** पुत्री श्री स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद पांडे का स्वर्गवास प्रेम निकेतन हॉस्पिटल में दिनांक 15.01.2025 को हो गया है। धर्म भाई की और से तीये की बैठक दिनांक 17.01.2025 को दोपहर 1.00 से 2.00 बजे दोपहर घर पर ही प्लॉट नं. 5 विष्णु विहार अर्जुन नगर दुर्गापुरा नियर पूजा टैंट हाउस पर ही रखी गई है।

शोकाकुल-श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवाडी (धर्म भाई एवं बेटा), हर्ष तिवारी (एडवोकेट), दिव्या शर्मा (धर्म बेटी) मो.-9828398554

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

सं. एसएण्डटी-जेयू-20-2024-25, दिनांक 15.01.25

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबन्धक/ सं.व.दू.उ.प.रे., जोधपुर द्वारा निम्नलिखित सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम सम्बन्धी कार्य हेतु मुहरबंद ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। **(1) कार्य का नाम:** उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों/ समपार फाटकों पर तीन साल के लिए एच बी एल मेक IPS का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध का कार्य। **(2) कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 3,11,97,956/- **(3) ई-निविदा जमाकर्ता कार्यालय का पूर्ण पता:** वरि.मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजी. मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय हरीश जोशी मार्ग, जोधपुर **(4) बयाना राशि (Bid Security):** ₹ 306000/- **(5) ई-निविदा प्रपत्र जमा कराने एवं खुलने की तारीख व समय:** 10.02.2025 को 11:00 बजे तक तथा ई-टेण्डर ऑनलाइन आई आर ई पी एस 11:00 बजे बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जायेगी। **(6) वेबसाइट विवरण एवं नोटिस बोर्ड व कार्यालय जहाँ से निविदा का विवरण देखा जा सके एवं खरीद की जा सके:** www.ireps.gov.in **नोट:-** यह एक ई टेण्डर है इसलिए इसमें भाग लेने के लिए ठेकेदार ई-टेंडरिंग के द्वारा उल्लेखित वेबसाइट पर टेंडर डाले।

63-DK/25

/NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

सूचना डॉ. सबीहा रहमान पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री मोहम्मद सुफियान का पंजीयन पत्र क्रमांक 1673 नष्ट/गुम हो जाने के कारण डुप्लीकेट पंजीयन पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी को उक्त पंजीयन पर आपत्ति हो तो बोर्ड कार्यालय को 15 दिन में सूचित करें अन्यथा डुप्लीकेट पंजीयन पत्र जारी कर दिया जावेगा।

रजिस्ट्रार-बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण [illegible] श्री मंगला, जाति [illegible] मंगला, निवासी ग्राम [illegible] द्वारा कृषि भूमि [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] बर-120/24 रकबा [illegible] 0.1644 हैक्टेयर, [illegible] 24/9 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, वाके ग्राम [illegible] अभिभाष्यगण का [illegible] ग्यारसी लाल मीणा, [illegible] जयपुर (राज.) से [illegible] इक्कीस लाख रूपये [illegible] 2024 को विधिक [illegible] लेकिन गोपाल [illegible] करारनामा दिनांक [illegible] मेरे अभिभाष्यगण [illegible] बेचान करने, अन्य [illegible] किसी अन्य व्यक्ति [illegible] 2024 के आधार पर [illegible] व्यवहार किया जाता [illegible] सूचित रहे। [illegible] - 9829732931

आम सूचना हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अनिल कुमार सक्सैना पुत्र श्री मंगली प्रसाद सक्सैना निवासी 30-ए, डब्ल्यू एच ओ कॉलोनी, अम्बाबाडी जयपुर के आफिस, बिल्डिंग 707 सात वी फ्लोर बालाजी टावर 6(छ) जयपुर के असल दस्तावेज, रजिस्टर्ड सेल डीड अलाटमेंट लेटर रसीद वं मेरे अभिभाष्य के प्लॉट संया डी/74 हीरालाल शास्त्री नगर वाटिका जयपुर के मूल दस्तावेज जिसमें विक्रय पत्र, मूल असल पट्टा जे.डी.ए. रसीदें व अन्य दस्तावेज मेरे अभिभाष्य की फर्म मिलेनियम कार्गो मूवर्स एल एल पी की सह पार्टनर दामिनी टिक्कीवाल पुत्री दिलीप टिक्कीवाल निवासीनी सी-507 सिद्धार्थ नगर एयरपोर्ट जयपुर के द्वारा अनाधिकृत रूप से एवं बेईमानी एवं धोखे से हतिया लिये गये थे जिन्हे प्राप्त करने हेतु मेरे अभिभाष्य द्वारा कई बार दामिनी को सूचित/आग्रह किया। अंतत दिनांक 8.12.2024 को जरिये लीगल नोटिस जरिये स्पीड पोस्ट उपरोक्त दस्तावेजों की मांग की किन्तु दामिनी ने आज तक मेरे अभिभाष्य को उपरोक्त वर्णित दस्तावेज नहीं लौटाये है। वह उसके अवैध कब्जे में है। उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों से संबंधित दोनों सम्पत्तियां मेरे अभिभाष्य के निजी मालिकाना हक की हैं। उक्त दोनों सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी सरकारी अथवा गैर सरकारी अथवा कोई निजी अथवा आटोनोमस बॉडी, निजी अथवा सरकारी बैंक अथवा फाईनेंस संस्था कोई लोन एवं रहन एजेन्सी किसी भी प्रकार का संव्यवहार, एग्रीमेंट विक्रय अथवा विक्रय अनुबन्ध कोई लोन प्रक्रिया, इत्यादि करेगी तो वह उक्त धोखाधड़ी एवं जालसाजी में शामिल मानी जायेगी एवं समस्त कानूनी परिणामो के लिए जिम्मेदार होगी।

दिनांक-15.01.2025 (अजय कुमार सक्सैना, मधु गुप्ता) एडवोकेट, मो. 9414457031

खोया पाया

प्लाट नं. बी-94, स्वपनलोक, सीकर रोड, जयपुर का मूल कब्जा पत्र खो गया है मिलने पर सूचित करें। शर्मा-8882222366

प्लॉट नं. 30, नायला पाईंट स्कीम, बूज रोड, नायला, जयपुर क्षेत्रफल 97.22 वर्गगज, सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति, जयपुर द्वारा आवंटित भूखण्ड का मूल आवंटन पत्र जारी दिनांक 27.04.1997 कहीं गुम हो गया है। कृपया मिलने पर सूचित करें। लीलावती पत्नी श्रवण कुमार असवाल, 800354016

मेरा प्लाट मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना भगवती नगर-प्रथम के प्लाट नं. 65 की मूल रसीद कहीं गुम हो गई है। मिलने पर सूचित करें-9358230885

मेरे मकान 4-एच-191 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा का मूल आवंटन पत्र मालवीय नगर में कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें अलका शर्मा-9413333758

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2024-25/104009 दिनांक:16/01/2025

लोक सूचना M/S BADRINATH INFRAPROJECTS PVT. LTD. TH. DIR SAURABH KEDIA पुत्र श्री RAJENDRA KUMAR KEDIA जाति MAHAJAN निवासी FIRST FLOOR A-10 SHYAM NAGAR BENAR ROAD JHOTWARA JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	[illegible]	BADRINATH INFRAPROJECTS	263	3900	0.39
2.	[illegible]	BADRINATH INFRAPROJECTS	266	4600	0.46
3.	[illegible]	BADRINATH INFRAPROJECTS	1064/264	1213	0.1213
4.	[illegible]	BADRINATH INFRAPROJECTS	1066/265	794	0.0794
5.	[illegible]	BADRINATH INFRAPROJECTS	1068/267	6738	0.6738
6.	[illegible]	BADRINATH INFRAPROJECTS	1069/258	260	0.026
7.	[illegible]	BADRINATH INFRAPROJECTS	1071/259	120	0.012
8.	[illegible]	BADRINATH INFRAPROJECTS	1073/262	2040	0.204
				कुल	1.9665

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16-01-2025 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 305/24 (307/24)

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम (1) प्रभु देवी पत्नी स्व. श्री दयानन्द चौधरी, (2) गौरव चौधरी पुत्र स्व. श्री दयानन्द चौधरी, (3) कुलदीप चौधरी पुत्र स्व. श्री दयानन्द चौधरी निवास 1-बी-38, शिव शक्ति कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर

मृतक स्व. दयानन्द चौधरी पुत्र रूडमल आजाद चौधरी की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 20.02.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम दयानन्द चौधरी पुत्र रूडमल आजाद चौधरी निवासी 1-बी-38 शिव शक्ति कॉलोनी शास्त्री नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20 माह 02 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 09 माह 01 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय

IN THE COURT OF SH. DIG VINAY SINGH, LD. DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL COURT-03), WEST DISTRICT, DELHI, ROOM NO. 203, EXTENSION BLOCK (NEW), SECOND FLOOR, TIS HAZARI COURT, DELHI

SUMMON FOR PUBLICATION

Proclamation requiring attendance of Defendant (Order 5 Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

CS (Comm.) No.463/2024

SARAOGI SUPER SALES PVT. LTD... Plaintiff V/S MR. SANDEEP KATARIA...Defendant

To, (Defendant) Mr. Sandeep Kataria, Proprietor of M/s. Awesome Ladies Wear Add at: Lakshmi Narayan Shop No. 190, Guru Nanak Pura, Raja Park, Jaipur, Rajasthan-302004. Also at: 191, Guru Nanak Pura, Raja Park, Jaipur, Rajasthan - 202004.

Whereas you, in view of the reports already received, cannot be served in ordinary way. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the 23rd day of January, 2025. the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court on this 13th day of January, 2025.

Seal DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL COURT-03) TIS HAZARI COURT, DELHI

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम राजेन्द्र कुमार बाजपेई से बदलकर राजेन्द्र बाजपेई रख लिया है। भविष्य में मुझे राजेन्द्र बाजपेई के नाम से जाना जावें। पता-म.नं. 3-ग-28 हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर जयपुर-302016

Satpal Singh Tanwar Address:-1, Abhinandan Vihar, Vaishali Marg, Panchyawala Jaipur Raj. 302034] The name of my son Vansh Partap Singh has been changed to Vansh Singh Tanwar, he should be known by this name in future.

Satpal Singh Tanwar Address:-1, Abhinandan Vihar, Vaishali Marg, Panchyawala Jaipur Raj. 302034] The name of my son Rudra Partap Singh has been changed to Rudra Singh Tanwar, he should be known by this name in future.

I Army No. JC-174344H Ex. Nb/Sub. Mohamed Hanif Khan S/o Bhau Khan R/o VPO Jabasar, Teh-Malsisar, Jhunjhun. Rajasthan. In army service record my son's name Mohamed Parvez wrongly recorded. Correct son's name is Mohammed Parvez Khan. Vide Affidavit Jaipur. Dated 16.01.2025

I hereby confirm that Mohit Bakshi & Mohit Kumar Bakshi both are my name on various documents. I should be known as Mohit Bakshi S/o Late Sh. Ashwini Kumar Bakshi R/o 358, Lane No-2, Rajapark, Jaipur for all purposes

न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनूं

[illegible] ...प्रार्थीया [illegible] ...अप्रार्थीगण [illegible] को पूर्ण मैच्यौर हो चुकी है। जिसके पश्चात प्रार्थीया ने स्वयं को एफ.डी. धारक स्व. राम सिंह चेजारा उर्फ राम सिंह कुमावत की वैध पत्नी विधिक वारिस बताते हुए अपने पहचान संबंधित कागजात एवं एफ.डी. धारक स्व. राम सिंह चेजारा उर्फ राम सिंह कुमावत का मृत्यु प्रमाण पत्र अप्रार्थी संख्या 04 के यहां सभी एफ.डी. की राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतू प्रस्तुत किये, इस पर अप्रार्थी संख्या 04 ने प्रार्थीया से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की है। अब वर्तमान में प्रार्थीया के पति राम सिंह चेजारा उर्फ राम सिंह कुमावत की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया ही अपने परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण परिवार का पालन पोषण, सेवा सुश्रुषा, खान-पान, दवा आदी का ख्याल प्रार्थीया ही रखती है। इसलिए प्रार्थीया ही अपने स्व. पति राम सिंह चेजारा उर्फ राम सिंह कुमावत की सभी एफ.डी. की राशि का भुगतान प्राप्त करने की वैध अधिकारी है। अतः इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30.01.2025 को न्यायालय समय 10.00 ए.एम. पर हाजिर होकर आपत्ति पेश करें अन्यथा नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा। आज दिनांक 21.12.2024 को न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मोहर अदालत — न्यायालय के आदेश से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सेशन न्यायालय, झुंझुनूं, (राज.)

कार्यालय विद्युत नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)

क्रमांकः-ननिको उ./वि0/2025/820-825 दिनांक 13.01.2025

-: ई - निविदा सूचना :-

नगर निगम, कोटा उत्तर द्वारा किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में निम्न कार्य को करनें वाले अनुभवी संवेदको से ई-निविदा पद्धती से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित राशि, निविदा बेचे जाने, प्राप्त करने, अन्य शर्ते एवं जानकारी निगम वेबसाईट www.kotamc.org, www.sppp.rajasthan.gov.in & https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

(अनुमानित राशि 43.10 लाख रूपये)

NIB Code – DLB2425A4916
UBN – DLB2425WSRC14970

राज.संवाद/सी/24/10388

अधिशाषी अभियंता (वि0) नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :LU2012/JDA/2024-25/103958 **लोक सूचना** दिनांक 02/01/2025

मैसर्स ग्रास फील्ड फायर एस्टेट प्रा.लि. एवं मैसर्स ग्रास फील्ड फायर लैण्ड डवलपर्स प्रा. लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेश शर्मा पुत्र स्व. श्री गिरधारीलाल शर्मा सी/ओ 6फ्लोर, अपेक्स मॉल, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर। ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	मैसर्स ग्रास फील्ड फायर एस्टेट प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री सुनिल बंसल पंजिकृत कार्यालय के-107, क्लब लेन, किसान नगर, श्याम नगर, जयपुर।	621	5800	0.58
			887/619	4600	0.46
			888/620	5600	0.56
			622	26700	2.67
		मैसर्स ग्रास फील्ड फायर लैण्ड डवलपर्स प्रा. लि. पंजिकृत कार्यालय के-107, क्लब लेन, किसान नगर, श्याम नगर, जयपुर।	623	13900	1.39
				कुल	5.66

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 02-01-2025 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर